ऑउटकम बजट (Outcome Budget) 2024–25

विभाग का नामः– सहकारिता विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0 –01, 02, 08

धनराशि लाख रु0 में

क्र सं	योजना/मद का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले (लाख रूपये में)		01.04.2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1	निदेशन तथा प्रशासन–03	अधिष्ठान व्यवस्था	3884.01	0.00	रु0 3183.90 लाख धनराशि वेतन व अन्य विभिन्न मदों आदि में व्यय	रु0 3861.58 लाख धनराशि वेतन व कार्यालय सम्बन्धी अनुमन्य व्यय किया जाना है। 401 कार्मिको को रोजगार	विभाग में स्वीकृत 504 पदों के सापेक्ष कार्यरत 401 विभागीय अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान व कार्यालय सम्बन्धी समस्त अनुमन्य व्ययों का भुगतान करना।	विभागीय कार्यों एवं योजनाओं के सफल संचालन के फलस्वरूप सहकारी संस्थाओं के कार्यकलापों से राज्य की जनता/कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर में विशेष सुधार आयेगा।	वार्षिक
2	निदेशन तथा प्रशासन–05	अधिष्ठान व्यवस्था	187.55	0.00	रु0 100.68 लाख धनराशि वेतन व अन्य विभिन्न मदों आदि में व्यय	रु0 221.20 लाख धनराशि वेतन व कार्यालय सम्बन्धी अनुमन्य व्यय किया जाना है।	सहकारी न्यायाधिकरण में न्यायाधीश, सदस्यों तथा न्यायाधिकरण के अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि एवं अन्य सभी अनुमन्य कार्यालय सम्बन्धी व्ययों का भुगतान करना	सहकारी न्यायाधिकरंण उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम 2003 के अनुसार गठित सहकारिता विभाग के आदेशों एवं निर्णयों के क्रम में प्राप्त अपीलों की सुनवाई से अपीलार्थियों को सुलभ न्याय प्राप्त होगा।	वार्षिक
3	निदेशन तथा प्रशासन–06	अधिष्ठान व्यवस्था	84.70	0.00	रु0 17.51 लाख धनराशि वेतन व अन्य विभिन्न मदों आदि में व्यय	रु0 98.30 लाख धनराशि वेतन व कार्यालय सम्बन्धी अनुमन्य व्यय किया जाना है।	सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में शासन द्वारा नामित सदस्यों एवं कार्यालय कर्मचारियें के वेतन/कार्यालय सम्बन्धी समस्त अनुमन्य व्ययों का भुगतान करना है।	भारत का संविधान 97वें संशोधन के अनुसार गठित निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा राज्य में निर्वाचन योग्य सहकारी संस्थाओं के नियमित निर्वाचन के फलस्वरूप सस्थाओं में प्रजातान्त्रिक प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन किया जायेगा।	वार्षिक
योग			**4156.26**	**0.00**					

राज्य योजना :–									
क्र सं	योजना/मद का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले (लाख रूपये में)		01.04.2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	सम्भावित अवधि
4	राज्य सहकारी परिषद के संचालन हेतु	परिषद का मुख्य उद्देश्य सहकारिता की समीक्षा करना एवं सहकारी समितियों की क्रिया कलापों में समन्वय स्थापित करना	40.00	0.00	रु0 40.00 लाख धनराशि उक्त योजनान्तर्गत व्यय की गयी।	उक्त योजनान्तर्गत वर्तमान में रु0 20.00 लाख का व्यय विभिन्न विभागीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार एवं प्रदर्शनियों हेतु किया गया है।	सहकारी विकास की नई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहकारी मेले/सहकारी गोष्ठियां एवं प्रकाशन आदि से सहकारिता का प्रचार प्रसार किया जायेगा, जिससे कृषकों एवं समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को मेलों एवं प्रदर्शनी के माध्यम से स्थानीय उपजों का बाजार उपलब्ध कराया जायेगा।	उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम 2003 के अन्तर्गत गठित परिषद द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता द्वारा रोजगार परक पहल में स्थानीय स्तर पर सहकारी मेले एवं सहकारी प्रदर्शनियां आयोजित करना।	वार्षिक
5	सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान	विभागीय कर्मचारियों व अन्य सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों व कार्मिको को प्रशिक्षित करना	20.00	0.00	रु0 8.36 लाख धनराशि प्रशिक्षण में व्यय की गयी। जिसमें 08 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 189 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है	300 कार्मिको को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।	विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विभाग के क्रियाकलापों में दक्षता प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रशिक्षण से कार्मिकों की कार्यकुशला में वृद्वि होगी ।	प्रशिक्षित विभागीय कर्मचारियों द्वारा विभागीय कार्यो एवं नीतियों के परिपालन में तत्परता एवं पारदर्शिता आयेगी। संस्थाओं के नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण से संस्थाओं की कार्यकुशलता में वृद्वि होगी जिसका स्पष्ट लाभ जनता को मिलेगा।	वार्षिक
6	पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक पर राज सहायता	उर्वरक आपूर्ति हेतु परिवहन अनुदान	125.00	0.00	रु0 125.00 लाख धनराशि कुल 125467.490 मै0टन उर्वरक वितरण पर परिवहन अनुदान दिया गया।	राज्य के लगभग 210000 कृषकों को कुल 205200 मै0टन उर्वरक कम मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा	राज्य के लगभग 210000 कृषकों को कुल 205200 मै0टन उर्वरक कम मूल्य पर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत उर्बरक परिवहन का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । कम मूल्य पर उर्बरक उपलब्ध होने पर कृषि लागत में कमी आयेगी जिससे किसानो के लाभाशं में वृद्वि हाने से आय में वृद्वि होगी	उत्तराखण्ड के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में समान दर पर उर्वरक विक्रय हेतु समिति बिक्री केन्द्रो तक उर्वरक आपूर्ति के परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति के पश्चात प्रदेश के लगभग 210000 कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।	वार्षिक

क्र सं	योजना/मद का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले (लाख रूपये में)		01.04.2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	सम्भावित अवधि
7	राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के कार्यालय संचालन हेतु	राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय व अन्य व्यावसायिक व्यय	730.30	0.00	रु0 803.00 लाख धनराशि योजनान्तर्गत कार्यालय संचालन हेतु आंवटित की गयी।	रु0 883.30 लाख धनराशि कार्यक्रम निदेशालय के कार्यो के संचालन व अन्य व्यवसायिक सेवाओं हेतु व्यय किया जाना है।	राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय, ऑउटसोर्स कार्मिक एवं वाहयस्रोत से कार्यरत विभिन्न कन्सलटेन्स अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, जो कि कन्सलटेन्सी के रुप मे निदेशालय को दी जाने वाली सेवाओ एवं निदेशालय द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओ से सम्बन्धित आर0एफ0पी0, टी0ओ0आर0, डी0पी0आर0, ई0ओ0आई0 तथा निष्पादित किये जाने वाले विभिन्न अनुबन्धों के मूल्याकंन एवं सम्भावित विधिक कार्यो को दृष्टिगत रखते हुये होने वाले व्यय व प्रोफेशल फीस का भुगतान किये जाने में व्यय किया जायेगा।	योजना के क्रियान्वयन की स्थिति एवं समय–समय पर अनुरक्षण, व पर्यवेक्षण हेतु कार्यक्रम निदेशालय हेतु।	वार्षिक
8	मिनी बैंक निक्षेप गारन्टी योजना(कारपस फण्ड)	मिनी बैंकों/ ग्रामीण बचत केन्द्रों को हानि की प्रतिपूर्ति करना	20.00	0.00	रु0 19.19 लाख धनराशि समस्त सहकारी बैंको को उनके यहां जमा समिति निक्षेपित धनराशि रु0 105653.91 लाख की गारन्टी हेतु आवंटित की गयी।	रु0 20.00 लाख धनराशि समस्त सहकारी बैंको को उनके यहां जमा समिति निक्षेपित धनराशि रु0 119130.18 लाख की गारन्टी हेतु आवंटित की गयी, जिससे लगभग 475000 से अधिक समिति के सदस्यों को उनकी निक्षेप पर गारन्टी प्राप्त हुयी है।	प्रदेश के ग्रामीण बचत केन्द्रों की कुल 124033.06 लाख रु0 की जमा धनराशि की गारन्टी हेतु रु0 54.00 लाख की आवश्यकता होगी, जिससे लगभग 500000 से अधिक से सहकारी समिति के सदस्यों को उनकी निक्षेप पर गारन्टी प्राप्त होगी।	शासनादेश के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ग्रामीण बचत केन्द्रों में जमा निक्षेपों की गारण्टी हेतु फण्ड उपलब्ध कराने से केन्द्रों में बचत जमा करने हेतु जनता की धनराशि की सुरक्षा रहेगी।	वार्षिक
9	पैक्स का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र पोषित) केन्द्रांश (प्रति पैक्स 50 हजार रु0) नई योजना	पैक्स का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रेषित) केन्द्रांश (प्रति पैक्स 50 हजार रु0)	100.00	0.00	0	0	सहकारिता मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा देश की समस्त पैक्स के कम्प्यूटराइजेशन हेतु केन्द्र प्रायोजित परियोजना के द्वारा समस्त पैक्सों में कम्प्यूटरीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।	पैक्सों में कम्प्यूटरीकरण किये जाने से समस्त पैक्स सॉफ्टवेयर के द्वारा डिजीटली रुप से अपने कार्यो का संचालन करेगीं। जिसके द्वारा पैक्स के कार्यो में पारदर्शिता, सटीकता व त्वरित कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।	वार्षिक

10	**सहकारी संस्थागत सेवामण्डल हेतु राज सहायता**	संस्थागत सेवामण्डल के कार्यों का सफल संचालन	20.00	0.00	रु0 20.00 लाख धनराशि संस्था के संचालन हेतु व्यय की गयी।	सहकारी बैकों की सेवा नियमावलिया, कार्मिकों की भर्ती, बैक अधिष्ठान से सम्बन्धित मामलों के मार्गदर्शन आदि हेतु गठित सेवामण्डल के कार्मिको के वेतन आदि अधिष्ठान व्यय किया जायेगा ।	राज्य में कार्यरत 10 जिला सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैक के स्टाफ की नियुक्ति, पदोन्नति व अन्य अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों के संचालन हेतु कर्मचारियों के वेतन भत्तों व अन्य कार्यालय सम्बन्धी व्ययों के भुगतान हेतु।	संस्थागत सेवामण्डल का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित होने पर जिला सहकारी बैक कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति एवं अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों का समय से निस्तारण किया जायेगा। जिससे जिला सहकारी बैंकों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सकेगा।	वार्षिक
11	**जन औषधि केन्द्र हेतु राज सहायता**	जन औषधि केन्द्रो की स्थापना	0.01	0.00	वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु नयी मांग के रुप में	योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0 130.00 लाख से 65 अर्ह सहकारी समितियों के माध्यम से जनऔषधी केन्द्र स्थापित किये जायेगे , जिससे जनता को सस्तें मूल्य पर दवाईयां उपलब्ध होगी ।	सहकारी समितियों के माध्यम से जनऔषधि केन्द स्थापित होगें जिससे आम जनता को सस्तें मूल्य पर जीवन रक्षक दवाईयां उपलब्ध कराना।	सहकारी समितियों के माध्यम से जनऔषधि केन्द स्थापित होगें जिससे आम जनता को सस्तें मूल्य पर जीवन रक्षक दवाईयां उपलब्ध होगी।	वार्षिक
12	**उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के संचालन हेतु**	राज्य कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं बाजार दर से सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना	0.01	0.00	वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु नयी मांग के रुप में	उक्त योजनान्तर्गत रु0 50.00 लाख धनराशि का व्यय निगम अन्तर्गत संचालित कैन्टीन के उपयोगार्थ व्यय की जानी है।	राज्य कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आधारभूत ढाँचे का विकास करना।	प्रत्येक जनपद में कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना होने पर राज्य के कर्मचारियों को सस्ती दरों पर दैनिक उपयोग की वस्तुए उपलब्ध होने से उनके उपभोग खर्च में कमी आयेगी जिससे जीवन सुधार में प्रगति होगी।	वार्षिक
13	**दीनदयाल उपा0 सहकारिता किसान कल्याण योजना**	राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना किये जाने के उद्देश्य से	6000.00	0.00	रु0 4500.00 लाख धनराशि ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु सहकारी बैंकों को आवंटित की गयी। उक्त वर्ष कुल 125450 सदस्यों को लाभान्वित किया गया।	रु0 82.88 से अधिक धनराशि समस्त सहकारी बैंको व सहकारी समितियों द्वारा वितरित ब्याज रहित ऋण के सापेक्ष ब्याज प्रतिपूर्ति सम्बन्धित बैंकों को आवंटित की गयी। इस वर्ष लगभग 135000 सदस्यों को लाभान्वित किया जाना है।	योजनान्तर्गत लगभग **रु0 1200.00 करोड** से अधिक का ब्याज रहित ऋण वितरित कर लगभग 148000 लाभार्थिओं को लाभान्वित किया जाना है। वितरित ब्याज रहित ऋण के सापेक्ष ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु रु0 76.00 करोड की धनराशि प्रस्तावित है। साथ ही **सशक्त उत्तराखण्ड** के परिदृश्य में उक्त योजना अन्तर्गत **अल्प/मध्यकालिक लक्ष्यो** की पूर्ति भी पूर्ण होगी।	उत्तराखण्ड राज्य में सस्ता कृषि ऋण उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन लागत में कमी आयेगी जिसके फलस्वरूप कृषकों की आजीविक दोगुनी होगी।	वार्षिक

14	**राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (NCDC)**	सहकारी समितियों के आधारभूत ढाँचे का विकास कर उक्त योजनान्तर्गत विभिन्न कलस्टर तैयार कर आजीविका संवर्धन के अवसर उपलब्ध कराना।	2000.00	0.00	रु0 1400.00 लाख धनराशि योजनान्तर्गत अनुदान स्वरुप वितरित की गयी।	रु0 4000.00 लाख धनराशि योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु वितरित ऋण के सापेक्ष ब्याज अनुदान अन्तर्गत व्यय किया जाना है। उक्त योजना में 40000 से अधिक कृषक परिवारो को सीधे लाभान्वित किया जाना है।	एन0सी0डी0सी0 के माध्यम से संचालित राज्य सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से संचांलित गतिविधियाँ यथा साइलेज/टी0एम0आर0 उत्पादन, अदरक–बीज उत्पादन, सेब संग्रहण एवं विपणन, सगन्ध पौध में डमस्क रोज, लेमन ग्रास उत्पादन, बेमौसमी सब्जी एवं मसालों के वृहद कलस्टर स्थापित करते हुये **45000** से अधिक कृषक परिवारो को सीधे लाभान्वित किया जाना है। साथ ही **सशक्त उत्तराखण्ड** के परिदृश्य में उक्त योजना अन्तर्गत अल्प/मध्यकालिक लक्ष्यो की पूर्ति भी पूर्ण होगी।	प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के आर्थिक ढाँचे के विकास करने एवं कलस्टरवार गतिविधियां संचांलित किये जाने से कृषकों को रोजगार परक योजनाओं अन्तर्गत आच्छादित किया जाना है।	वार्षिक
15	**मिलेटस मिशन योजना हेतु अनुदान**	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किसानों के उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करना।	67.03	0.00	रु0 63.84 लाख धनराशि योजनान्तर्गत अनुदान स्वरुप वितरित की गयी। उक्त वर्ष कुल **14468** कुन्तल मिलेट्स की खरीद की गयी।	रु0 63.84 लाख धनराशि कृषकों से स्थानीय उपज खरीद किये जाने व परिवहन अन्य मदों में व्यय किया जाना है। सहकारिता विभाग की शीर्ष सहकारी संस्था उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0, देहरादून द्वारा कुल 268 क्रय–केन्द्र के माध्यम से कुल 16932 कुन्तल पर्वतीय मिलेट का क्रय 16500 कृषकों से किया है ।	कृषकों द्वारा उत्पादित फसलों को उचित मूल्य में खरीद किये जाने हेतु लगभग 25000 कृषकों से लगभग 25000 कुन्तल मिलेटस खरीद किया जाना लक्षित है, जिसके उपरान्त मिलेटस की प्रसंस्करण एवं परिवहन पर आने वाली लागत की प्रतिपूर्ति हेतु रु0 67.03 लाख प्रस्तावित की गयी है।	कृषकों द्वारा उत्पादित फसलों को मुख्यधारा के बाजारों तक पहुँचनें में हेतु मुख्य फसलें गेहूँ और चावल के अतिरिक्त स्थानीय फसलें जैसे रामदाना, मण्डुवा, झंगोरा इत्यादि फसलों का उचित मूल्य दिलाना एवं पर्वतीय कृषको की आय दोगुनी किया जाना।	वार्षिक
16	**मोटर साईकिल टैक्सी योजना अन्तर्गत अनुदान सहायता**	स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना	25.00	0.00	0	रु0 63.84 लाख धनराशि का व्यय ब्याज अनुदान स्वरुप कुल 234 लाभार्थिओं को वितरित की जानी है।	उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग 225 लाभार्थिओं को कुल रु0 300.00 लाख का ऋण वितरित किया जाना है। जिस हेतु वितरित ऋण व गत वर्षो में वितरित ऋण की ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के विभागीय आय–व्ययक के माध्यम से रू0 67.00 लाख हजार की धनराशि की आवश्यकता है।		वार्षिक

17	**निबन्धक कार्यालय हेतु अनुदान**	मुख्यालय का कार्यालय स्थापित करने हेतु कार्यालय का निर्माण, साज सज्जा अन्य व्यवस्थायें किये जाने	0.00	0.01	0	0	0	0	वार्षिक
18	**राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु ऋण (NCDC)**	सहकारी समितियों के आधारभूत ढाँचे का विकास कर उक्त योजनान्तर्गत विभिन्न कलस्टर तैयार कर आजीविका संवर्धन के अवसर उपलब्ध कराना।	00.00	10000.0	0	रु0 20000.00 लाख धनराशि योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ऋण स्वरुप वितरित की जानी है। उक्त योजना में 40000 से अधिक कृषक परिवारो को सीधे लाभान्वित किया जाना है।	एन0सी0डी0सी0 के माध्यम से संचालित राज्य सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से गतिविधियाँ संचांलित की गयी है। उक्त गतिविधियों एवं अन्य आधारभूत संरचना हेतु परियोजनानुसार धनराशि ऋण स्वरुप वितरित की जानी है।	प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के आर्थिक ढाँचे के विकास करने एवं कलस्टरवार गतिविधियां संचांलित किये जाने से कृषकों को रोजगार परक योजनाओं अन्तर्गत आच्छादित किया जाना है।	वार्षिक
19	**उपभोक्ता सहकारी संघ को कार्यशील पूंजी के रुप में ऋण**	सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न उपभोक्ता सम्बन्धी कार्य किये जाने हैं।	0.00	0.01	0	रु0 100.00 लाख धनराशि योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कार्यशील पूजीं के रुप में व्यय किया जाना है। गढवाल एवं कुमायू में एक–एक पायलेट प्रोजेक्ट तैयार किये जायेगें	0	0	वार्षिक
20	**दीनदयाल उपा0 सहकारिता किसान कल्याण योजना (अनुसूचित जाति हेतु)**	राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना किये जाने के उद्देश्य से राज्य के अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु ब्याज रहित ऋण वितरण	1800.00	0.00	रु0 1564.00 लाख धनराशि की ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु सहकारी बैंकों को आवंटित की गयी। उक्त वित्तीय वर्ष में 21634 सदस्यों को लाभान्वित किया गया।	रु0 1564.00 लाख धनराशि समस्त सहकारी बैंको व सहकारी समितियों द्वारा वितरित ब्याज रहित ऋण के सापेक्ष लगभग 33000 अनुसचित जाति के सदस्यों को ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित बैंकों को आवंटित किया जाना है।	योजनान्तर्गत लगभग **रु0 250.00 करोड** से अधिक का ब्याज रहित ऋण वितरित कर लगभग 45000 लाभार्थिओं को लाभान्वित किया जाना है। वितरित ब्याज रहित ऋण के सापेक्ष ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु रु0 22.00 करोड की धनराशि प्रस्तावित है।	उत्तराखण्ड राज्य में सस्ता कृषि ऋण उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन लागत में कमी आयेगी जिसके फलस्वरूप कृषकों की आजीविक दोगुनी होगी।	वार्षिक
21	**दीनदयाल उपा0 सहकारिता किसान कल्याण योजना (अनुसूचित जन जाति हेतु)**	राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना किये जाने के उद्देश्य से राज्य के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु ब्याज रहित ऋण वितरण	700.00	0.00	रु0 517.44 लाख धनराशि की ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु सहकारी बैंकों को आवंटित की गयी। उक्त वित्तीय वर्ष में 7530 सदस्यों को लाभान्वित किया गया।	रु0 700.00 लाख धनराशि समस्त सहकारी बैंको व सहकारी समितियों द्वारा वितरित ब्याज रहित ऋण के सापेक्ष 10000 अनुसचित जनजाति के सदस्यों को ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित बैंकों को आवंटित किया जाना है।	योजनान्तर्गत लगभग **रु0 55.00 करोड** से अधिक का ब्याज रहित ऋण वितरित कर लगभग 13000 लाभार्थिओं को लाभान्वित किया जाना है। वितरित ब्याज रहित ऋण के सापेक्ष ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु रु0 8.00 करोड की धनराशि प्रस्तावित है।	उत्तराखण्ड राज्य में सस्ता कृषि ऋण उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन लागत में कमी आयेगी जिसके फलस्वरूप कृषकों की आजीविक दोगुनी होगी।	वार्षिक
22	**बाढ अतिवृष्टि हेतु**		0.01	0					
योग			**11647.36**	**10000.02**					

1	**सहकारी बैंकों में अंशधन हेतु राज्य सरकार द्वारा अंशधन विनियोजन**	0.00	0.01	0	0	राज्य में संचालित सहकारी बैंकों के व्यवसाय में वृद्वि किये जाने के दृष्टिगत् बैंकों में अंशधन बढाया जाना है, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा अंशधन के रुप में धनराशि विनियोजित	राज्य में संचालित सहकारी बैंकों में राज्य सरकार द्वारा अंशधन के रुप में धनराशि विनियोजित किये जाने के फलस्वरुप बैंक के व्यवसाय में वृद्वि होना निश्चित है।	वार्षिक
2	**माधो सिंह भण्डारी सहकारी सामूहिक खेती योजना हेतु एकमुश्त राज्य सहायता**	700.00	0.00	0	0	राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के द्वारा राज्य में पलायन/अन्य कारणों से खाली हुयी कृषि योग्य बंजर भूमि को फिर से जीवन्त करने हेतु सहकारी सामूहिक खेती के माध्यम से गतिविधि संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम को सभी विकासखण्डों में विस्तारीकरण करते हुए 50 एकड़ कृषि भूमि/परित्यक्त/अनुपयुक्त भूमि को किसानों के लीज पर लिये जाने के उद्देश्य से रु 10.00 करोड की धनराशि प्रस्तावित है।	मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में परियोजना की राज्य स्तरीय मार्गदर्शक समिति ;स्च्ब्द्ध की बैठक में संयुक्त सहकारी खेती अन्तर्गत क्रियान्वित मोगी मॉडल को अन्य क्षेत्रों मे भी प्रसारित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं। जिस हेतु धनराशि प्रस्तावित है।	वार्षिक
3	**"किसान समृद्धि कार्ड योजना" अन्तर्गत प्रीमियम हेतु राज सहायता**	0.01	0.00	0	0	सहकारिता से जुड़े सभी सदस्यों के परिवारों की आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवारजनों को सामाजिक सुरक्षा जैसे सेवाओं का लाभ पहुँचाने के दृष्टिगत् ''किसान समृद्धि कार्ड योजना" प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित है। राज्य में सहकारिता से आच्छादित लगभग 20 लाख सदस्यों/खाताधारकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं डिजीटल साक्षरता को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से प्रति सदस्य हेतु मात्र एक बार प्रथम वर्ष देय प्रीमियम रु0 600.00 का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किये जाने की आवश्यकता है।	उक्त योजना के माध्यम से किसान/सदस्य को आकस्मिक दुर्घटना होने पर दुर्घटना बीमा की सुविधा प्राप्त होगी। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 15 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता कार्ड धारक सदस्य द्वाा नामांकित व्यक्ति को प्रदान की जायेगी।	वार्षिक
4	**RCS कार्यालय एवं जनपदस्तरीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 100 प्रतिशत् केन्द्रांश**	150.00	0.00	0	0	केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश एवं जनपदस्तरीय मुख्यालय स्थित कार्यालयों में विभिन्न विभागीय कार्यो यथा समिति निबन्धन, बॉयलोज संशोधन, अपील, ऑडिट परिसमापन, निरीक्षण, शिकायतें, निर्वाचन आदि हेतु ऑन–लाइन सॉफ्टवेयर/पोर्टल तैयार करने एवं कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। जिस हेतु केन्द्राशं एवं राज्यांश के रुप में बजट मांग प्राविधानित किया गया है।	प्रदेश एवं जनपदस्तरीय मुख्यालय स्थित कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण एवं ऑन–लाइन सॉफ्टवेयर/पोर्टल तैयार होने के फलस्वरुप विभागीय कार्य त्वरित एवं पारदर्शी पूवर्क सम्पादित किये जायेगें।	वार्षिक
5	**RCS कार्यालय एवं जनपदस्तरीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु सॉफ्टवेयर की मरम्मत केन्द्रांश (90:10)**	0.01	0.00	0	0	प्रदेश एवं जनपदस्तरीय मुख्यालय स्थित कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण एवं ऑन–लाइन सॉफ्टवेयर/पोर्टल के माध्मय से कार्य किये जाने के फलस्वरुप विभागीय कार्य त्वरित एवं पारदर्शी पूवर्क सम्पादित किये जा सकेगें, जिस हेतु तैयार किये जाने वाले सॉफ्टवेयर/पोर्टल की **मरम्मत** हेतु केन्द्रांश	प्रदेश एवं जनपदस्तरीय मुख्यालय स्थित कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण एवं ऑन–लाइन सॉफ्टवेयर/पोर्टल तैयार होने के फलस्वरुप विभागीय कार्य त्वरित एवं पारदर्शी पूवर्क सम्पादित किये जायेगें।	वार्षिक

	RCS कार्यालय एवं जनपदस्तरीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु सॉफ्टवेयर की मरम्मत राज्यांश (90:10)	0.01	0.00	0	0	एवं राज्यांश का 90:10 अनुपात के आधार पर उक्त परियोजना के अन्तर्गत केन्द्राशं व राज्यांश के रुप में बजट मांग का प्राविधानित किया जा रहा है, जिस हेतु उक्त मदों में वर्तमान में टोकन मनी के रुप में मात्र रु0 0.01 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।		
6	**RCS कार्यालय एवं जनपदस्तरीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु सॉफ्टवेयर के Cloud Infrastructure हेतु केन्द्रांश (90:10)**	0.01	0	0.00	0	प्रदेश एवं जनपदस्तरीय मुख्यालय स्थित कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण एवं ऑन–लाइन सॉफ्टवेयर/पोर्टल के Cloud Infrastructure हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का 90:10 अनुपात के आधार पर उक्त परियोजना के अन्तर्गत केन्द्राशं व राज्यांश के रुप में बजट मांग की जा रही है।	प्रदेश एवं जनपदस्तरीय मुख्यालय स्थित कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण एवं ऑन–लाइन सॉफ्टवेयर/पोर्टल तैयार होने के फलस्वरुप विभागीय कार्य त्वरित एवं पारदर्शी पूवर्क सम्पादित किये जायेगें।	वार्षिक
	RCS कार्यालय एवं जनपदस्तरीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु सॉफ्टवेयर के Cloud Infrastructure हेतु राज्यांश (90:10)	0.01	0	0.00	0			
7	**RCS कार्यालय एवं जनपदस्तरीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु PC, UPS, Printer हेतु केन्द्रांश (90:10)**	27.00	0.00	0	0	प्रदेश एवं जनपदस्तरीय मुख्यालय स्थित कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण एवं ऑन–लाइन सॉफ्टवेयर/पोर्टल के माध्मय से कार्य किये जाने के फलस्वरुप विभागीय कार्य त्वरित एवं पारदर्शी पूवर्क सम्पादित किये जा सकेगें, जिस हेतु प्रदेश एवं जनपदस्तरीय मुख्यालय स्थित कार्यालयों में हार्डवेयर, जैसे कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिन्टर, यू0पी0एस0 क्रय किये जाने हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का 90:10 अनुपात के आधार पर बजट मांग की जा रही है।	प्रदेश एवं जनपदस्तरीय मुख्यालय स्थित कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण एवं ऑन–लाइन सॉफ्टवेयर/पोर्टल तैयार होने के फलस्वरुप विभागीय कार्य त्वरित एवं पारदर्शी पूवर्क सम्पादित किये जायेगें।	वार्षिक
	RCS कार्यालय एवं जनपदस्तरीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु PC, UPS, Printer हेतु राज्यांश (90:10)	3.00	0.00	0	0			
योग		**880.05**	**0.01**					
महा योग (03,05,06 एवं राज्य सेक्टर, नयी मांग) का महायोग		**16683.67**	**10000.03**					